UPDE010034212026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–काशी नाथ, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06231

<u>प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1390/2026</u>

भवन उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व0 नरसिंह

साकिन–देवगांव, थाना गौरीबाजार, जिला देवरिया————————————आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य————————————————————————————————————विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–261/2026

धारा–305(ए),317(2),331(4) बी0एन0एस0

थाना–गौरीबाजार, जिला–देवरिया।

<u>22–07–2026</u>

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त भवन द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–261/2026 अन्तर्गत धारा–305(ए), 317(2), 331(4) बी0एन0एस0, थाना गौरीबाजार, जिला देवरिया में प्रथम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त भवन की माता मालती देवी के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में कथन किया गया कि फर्द बरामदगी व प्रथम सूचना रिपोर्ट में विरोधाभाष है। शिकायतकर्ता द्वारा घ ाटना का दिनांक–18/19–06–2026 बताया गया है साथ ही चोरी होते देखने की बात भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही गयी है, किन्तु चोरी का कोई समय अथवा अनुमानित समय का भी कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित वस्तु के सामान की कोई अनुमानित कीमत दर्शित नहीं की गयी है, जबकि उक्त भगौना, केतली, गिलाश नियमित

प्रयोग के दौरान पुरानी होना स्पष्ट है। स्थानीय थाना के सांठ गांठ से आपसी रंजिश के कारण उक्त वस्तुओं की चोरी दर्शित कर अभियोग दर्ज कराया गया है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना स्थल चौराहे पर स्थित गुमटी से होना दर्शित किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त घटना स्थल का शिकायतकर्ता ने निजी भाग अथवा घर होने का कोई प्रमाण प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित नहीं किया है। समस्त धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। आवेदक दिनांक–22–06–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर ही आवेदक/अभियुक्त को प्रथम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की गुमटी से चोरी की गयी है। इन्हीं आधारों पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रघुनाथ द्वारा थाना गौरीबाजार, जिला देवरिया के समक्ष इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी की लगड़ी चौराहा समीप गुमती में गुटका व चाय की दुकान है। दिनांक–18/19–06–2026 की रात में भवन राजभर पुत्र नरसिंह राजभर ग्राम देवगांव (करौना) थाना गौरीबाजार के निवासी ने उसके दुकान से चोरी कर लिया था तभी वह वहां पहुंचा तभी उसे देखकर उसका सारा सामान बोरे में लेकर भाग गया। जब वह दुकान में घुसकर देखा तो थाली एक, भगौना दो, एक गिलाश, एक हथौड़ी, एक शैम्पू पत्ता, साबुन छः व छोटा वाला गैस सिलेन्डर चुरा लिया था। अतः उचित कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

6. उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना गौरीबाजार पर अभियुक्त भवन राजभर के विरूद्ध दिनांक–19–06–2026 को समय 19:51 बजे मुकदमा अपराध संख्या–261/2026, धारा–305 व 331(4) बी0एन0एस0 में दर्ज किया गया। दौरान विवेचना धारा–317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोतरी की गयी।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

8. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की दुकान से एक थाली, भगौना दो, एक गिलाश, एक हथौड़ी, एक शैम्पू पत्ता, साबुन छः व छोटा वाला गैस सिलेन्डर की चोरी करने, चोरी का सामान बरामद होने का आरोप है। प्रश्नगत घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त

दिनांक–22–06–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अतः अभियोग की प्रकृति तथा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रकरण के गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना जमानत हेतु दर्शित आधार पर्याप्त एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **भवन** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **भवन** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–261/2026, अन्तर्गत धारा–305(ए), 317(2) व 331(4) बी0एन0एस0, थाना गौरीबाजार, जिला देवरिया में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही राशि की दो सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जायेः–

1– अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर जब–तक न्यायालय द्वारा उपस्थिति से अन्यथा छूट न दी गयी हो, प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होता रहेगा।

3– अभियुक्त द्वारा वादी पक्ष के विरूद्ध समान प्रकृति अथवा अन्य कोई अपराध कारित नहीं किया जायेगा।

ह0

दिनांक–22–07–2026

(काशी नाथ)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, देवरिया।